एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

Phone 07782-222428, Fax No. 07782-225361, E-mail : pmayg.bastar@gmail.com, zp-bastar.cg@gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

संचालक, संचालनालय, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/891/274/नवा रायपुर दिनांक 30/07/2024 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता में सहायता के दृष्टिकोण से प्रत्येक कलस्टर में ''आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन'' के चयन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय बस्तर, जगदलपुर में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 20/05/2025 शाम 5 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। निर्धारित तिथि उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। योजनान्तर्गत ''आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन'' के चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जानकारी तथा आवेदन पत्र प्रारूप जिला बस्तर के वेब–साईट **https://bastar.gov.in** पर देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है। संबंधित जानकारी जिला पंचायत, जनपद पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बस्तर

पृ.क्र. 4000/जि.पं./PMAY(Gramin)/2025 जगदलपुर, दिनांक 09/05/2025

प्रतिलिपि :–

1–संचालक, पंचायत संचालनालय, विकास भवन भू–तल, सेक्टर 19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, की ओर सादर सूचनार्थ।

2–कलेक्टर, जिला–बस्तर, छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।

3–जिला सूचना अधिकारी, जिला कार्यालय जगदलपुर को सूचनार्थ एवं उक्त विज्ञापन को **https://bastar.gov.in** वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

4– संयुक्त संचालक, जन संपर्क, जिला–बस्तर। कृपया उक्त विज्ञापन को जनहित के लिए समस्त दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करें।

5– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त, जिला बस्तर को सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।

6– कार्यालय सूचना पटल।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बस्तर

नियम एवं शर्ते :–

01. **क्लस्टर निर्माण :–**जिला पंचायत स्तर एवं पंचायतवार आवास निर्माण के लक्ष्य को देखते हुए संबंधित जनपदवार पंचायतों को समूहो में विभाजित कर क्लस्टर का निर्माण किया जावेगा। प्रत्येक समूह में 01 ''समिर्पित मानव संसाधन'' रखने का प्रयास किया जावे यथासंभव एवं समूह में 150 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया जावेगा, परंतु यह ध्यान रखा जाए की कोई ग्राम पंचायत को विभाजित नहीं किया जाएगा।

02. **शैक्षणिक योग्यता :–**

- बी.ई./डिप्लोमा/12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा अभ्यर्थी ''समर्पित मानव संसाधन'' चयन के लिए पात्र होंगे। बी.ई. सिविल तथा डिप्लोमा सिविल, एम.ए. (ग्रामीण विकास) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जावेगा।
- ''समर्पित मानव संसाधन'' के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12वी। उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- चयनित अभ्यर्थी को उनके गृह ग्राम के कलस्टर पर नियुक्ति किया जावेगा। अभ्यर्थी न मिलने पर समीपस्थ कलस्टर में सेवा ली जावेगी।
- ''समर्पित मानव संसाधन'' के रूप में जिला प्रशासन स्थानीय आवश्यकता अनुरूप पूर्व में कार्यरत् आवास मित्र, महिला स्वसहायता समूह (SHG) के सदस्य, बेयर फुट टेक्निशियन (BFT), बैंक सखी एवं अन्य अधीनस्थ अमले का भी नियम अनुसार चयन कर सकते हैं।

3. **चयन का आधार :–** अभ्यर्थियों का चयन 12वीं में प्राप्त अंकों के मैरिट के आधार पर किया जावेगा एवं अंकों की गणना निम्नानुसार की जावगी :–

- हायर सेकेण्डरी परीक्षा में उत्तीर्ण – न्युनतम 65 अंक
- बी.ई./डिप्लोमो उत्तीर्ण – 15 अंक
- पूर्व में कार्यरत आवास मित्र – 20 अंक
- बेयर फुट टेक्निशियन (BFT) – 10 अंक
- महिला स्वसहायता समूह (SHG) के सदस्य तथा बैंक सखी – 10 अंक

4. **आवेदन :–** जिला पंचायत द्वारा इच्छुक आवेदकों से आवेदन प्राप्त किया जावेगा। आवेदक अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकेंगे।

5. **आयु :–** ''समर्पित मानव संसाधन'' हेतु 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु समूह के अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे ।

6. **चयन समिति :–** जिला पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जावेगा। समिति मे जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी (ग्रामीण विकास विभाग से) या उनकी अनुपस्थिति में विभागीय समकक्ष अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। समिति में कोई एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के लेखाधिकारी सदस्य होंगे।

जिला पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों की सूची संबंधित जनपद पंचायत को उपलब्ध कराई जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जिला पंचायत से उपलब्ध करायी गयी अभ्यर्थियों की सूची में शामिल अभ्यर्थियों की सेवा निर्धारित कलस्टर में ''समर्पित मानव संसाधन'' के रूप में ली जावेगी।

7. **प्रोत्साहन राशि :–** समर्पित मानव संसाधन' को प्रति पूर्ण आवास के मान से निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जावेगी :–

- "समर्पित मानव संसाधन" को प्रति आवास पूर्णता पर 1,000 रू0 की प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।
- समर्पित मानव संसाधन को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात् भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता है, तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रूपये के मान से कटौती की जावेगी।
- 300 रूपये प्रति आवास जियो टैगिंग, गुणवत्ता युक्त आवास एवं राशि छत ढलाई पूर्ण होने के पश्चात्
- 400 रूपये प्रति आवास, जियो टैगिंग, प्लास्टर, पोताई, खिड़की/दरवाजा लोगा पूर्ण होने के पश्चात् ।

8. **राशि का भुगतान :–**"समर्पित मानव संसाधन' को सेवा के बदले दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि योजनान्तर्गत 1.7: Contingency मद से, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा भुगतान किया जावेगा।।

9. **समयावधि :–**"समर्पित मानव संसाधन' को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात् भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता है, तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रूपये के मान से कटौती की जावेगी।

10. **अवधि की गणना :–**"समर्पित मानव संसाधन' के लिए कार्य प्रारंभ करने की अवधि की गणना प्रथम किश्त की राशि जारी होने के साथ ही की जावेगी, साथ ही मार्गदर्शिका के अनुसार समर्पित मानव संसाध्न को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। तोप्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रूपये के मान से कटौती की जावेगी।

11. **जॉब चार्ट :–**

- हितग्राहियों का उन्मुखीकरण करना ।
- 12 माह की समय–सीमा में आवास पूर्ण कराना ।
- आवास निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु जनपद पंचायत से समन्वय कराना ।
- हितग्राही तथा जनपद पंचायत के मध्य समन्वय करना।
- आवास निर्माण के **Stage wise**जनपद पंचायत को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं आवास सॉफ्ट में **MIS Entry**सुनिश्चित कराना।

12. चयनित "समर्पित मानव संसाधन' प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के संबंध में शासन–प्रशासन, एवं संचालनालय प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) नवा रायपुर के पत्र क्र0/1060/MIS/PMAY-G/2024 दिनांक 21.08.2024 के अध्याधीन होगा।

13. उपरोक्त के संबंध में कोई विवाद होने पर अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

14. उपरोक्त संबंधित आदेश पूर्णतः अस्थाई है, जिसे कभी भी समाप्त/निरस्त किया जा सकता है ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बस्तर

कार्यालय जिला पंचायत बस्तर, छत्तीसगढ़

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 2025

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन हेतु आवेदन पत्र, जनपद पंचायत.........................

आवेदक का अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)
पिन – 494001

1– आवेदित पद का नाम – ____________________

2– आवेदक का नाम (हिन्दी में) – ____________________
(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) – ____________________

3– पिता/पति का नाम (हिन्दी में) – ____________________
(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) – ____________________

4– लिंग (महिला/पुरूष) – ____________________

5– जन्म तिथि (अंकों में) – ____________________
(शब्दों में) – ____________________

6– आयु (01–01–2024 की स्थिति में) – वर्ष ____________माह ________दिन ________

7– वर्तमान पता – ____________________
____
____
____

8– स्थायी पता – ____________________
____
____
____

9– ई–मेल, मोबाईल नम्बर – ____________________

10– जाति (यदि अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.व. के हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करें) – ____________________

11– वैवाहिक स्थिति – ____________________

12– शैक्षणिक योग्यता – (प्रमाणपत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	परीक्षा में सम्मिलित विषय/विषय समूह का नाम	बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

13– अनुभव :

कार्यालय का नाम	पदनाम	मासिक वेतनमान	कार्यरत अवधि कब से कब तक
			———— से ———— कुल अवधि ————

14– मूल निवासी – ————————————
(प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

15– जीवित पंजीयन क्रमांक व नवीनीकरण तिथि ————————————
(प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

16– अन्य सूचना – ————————————

17– योग्यता संबंधी एवं अन्य प्रमाण–पत्र संलग्न है :

1–

2–

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

18– **अभ्यर्थी का घोषणा पत्र :–**

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन–पत्र में बिन्दु क्रमांक 01 से 17 तक दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य है। किसी भी प्रकार की गलती या गलत जानकारी के कारण मुझे चयन प्रक्रिया से निष्काषित किया जा सकता है एवं मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मैने यह आवेदन–पत्र सम्पूर्ण विज्ञापन को पढ़कर एवं समझकर भरा है।

स्थान :– ————————

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

दिनांक :– ————————

नाम :– ————————

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1. हाई स्कूल का प्रमाण पत्र
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल का प्रमाण पत्र।
3. एम.ए. (ग्रामीण विकास) प्रमाण पत्र।
4. बी.ई./डिप्लोमा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र।
5. अनुभव प्रमाण पत्र (जो विज्ञापन में निर्दिष्ट हो)।
6. रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र।
7. निवास प्रमाण पत्र।
8. अन्य।